

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डीन (करीली)

पीठाधीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या-298/21

दस्तावेज नुं. (अनुदान)

दिनांक- 28.07.2024

जीसीएनएस नं. 2021/217

उपस्थान

दिनेश चन्द शर्मा पुत्र हजारी लाल शर्मा जाति अदिनीड ब्राह्मण निवासी
घाताली हनुमान के पास पाचना तहसील करीली जिला करीली

सायल

बनाम

बहादुर पुत्र मांग्या जाति जाटव निवासी सनेट रोड पटौदा तहसील हिण्डीन
जिला करीली

पैरसायलान-15

प्रार्थना पत्र अस्थावी निकाला

निर्णय

दिनांक- 28.08.2024

सक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान
कारशकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था
उक्त प्रकरण में सायलान व सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित
नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान व सायलान वकील को आवाज दिलवाई
गयी आवाज दिलवाने के बावजूद सायलान व सायलान वकील उपस्थित
नहीं। प्रकरण दिनांक 04.03.2022 से बहस दरकास्त में विचारधीन चल
रहा है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान व सायलान वकील प्रकरण
आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा नं० 298/21 प्रार्थना
पत्र दिनेश बनाम बहादुर अदम हाजिरी व अदम पैरदी में खारिज किया
जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया
जाकर सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हिण्डीन


दस्तावेज नुं.
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डीन

